

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

अपील

देश के सामाजिक आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाहनों की संख्या में भी अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती आ रही है परन्तु सड़कों की संख्या एवं उनकी लम्बाई/चौड़ाई तथा गुणवत्ता आदि में एक सीमा तक सुधार हुआ है, जिससे सड़क परिवहनों की गति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में वृद्धि/वाहनों की संख्या में वृद्धि आदि के कारण से लोगों की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। हम सब अवगत है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना वर्तमान में हमारे लिये चुनौती बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में प्रदेश में लगभग 37729 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 21227 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 24897 व्यक्ति घायल हो गए। इसी प्रकार अगस्त 2022 तक प्रदेश में लगभग 27871 दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 15213 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 19103 व्यक्ति घायल हुए।

मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जाने और प्रभावी चेंकिंग की कार्यवाही करने के साथ-साथ जनता का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमें यातायात के नियमों को अपने जीवन का अंग बनाना है। यातायात के नियमों के पालन के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो जाने से सड़क दुर्घटनाओं पर एक प्रभावी अंकुश लग सकता है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि तीन चौथाई से अधिक दुर्घटना मानवीय भूल के कारण होती है। इस प्रकार यातायात नियमों का पालन कर हम दुर्घटनाओं पर एक सीमा तक नियंत्रण लगाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं।

अब आप सबसे विभाग की अपील है कि—

अवश्य करें

1. दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें।
2. कार चलाते समय सीट-बेल्ट अवश्य लगाएं।
3. चौराहे पर लाईट रेड होने पर आगे न बढ़ें।
4. वाहन चलाते समय पैदल चलने वालों तथा सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं का ध्यान रखें।
5. सड़क संकेतों/चिन्हों का हमेशा पालन करें।

कभी न करें

1. ड्राइविंग लाईसेंस तथा गाड़ी के अन्य प्रपत्र के बिना गाड़ी न चलाएं।
2. वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात न करें।
3. गलत ढंग से वाहन ओवरटेक न करें।
4. खतरनाक ढंग/गति से गाड़ी न चलाएं।
5. शराब पीकर गाड़ी न चलाएं।

1. परिवहन विभाग का पोर्टल (www.uptransport.upsdc.gov.in)
2. परिवहन विभाग की हेल्पलाइन का टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151

परिवहन विभाग द्वारा जनहित में जारी